उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2

संख्या-152/2018/2822/92-2-18-53जांच/2016

लखनऊ:: दिनांक : 31 अक्टूबर 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–मुजफफरनगर द्वारा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक कराये गये कुल 108 निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा रैण्डम आधार पर चयनित कुल 09 कार्यो में कराये गये निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण/जांच में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम सांझक (2014-15) में हाजी बशीर के मकान से फारूख के मकान तक वाली गली में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य हेतु अनुबंधित धनराशि रू0 35,87,730.00 में से टी0ए0सी0 जांच में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 12,767.00 तथा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम सरवट (2012-13) में बालाजी सदन से मदन सिंह चौहान के घर तक वाली गली में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य हेतु अनुबंधित धनराशि रू0 36,37,610.00 में से टी0ए0सी0 जांच में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 10,940.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित पाये जाने, उक्त लोहिया समग्र ग्रामों के निर्माण कार्यो में पी0सी0सी0 एवं लीन कंक्रीट शक्ति में कमजोर पाये जाने, अपने पर्यवेक्षीय दायित्वों में लापरवाही बरतने तथा अधिशासी अभियंता के पद का पदभार देखते समय उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/शासनादेशों/वित्तीय नियमों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कार्य सम्पादित कराने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1338/92-2-2017-53जांच/2016 दिनांक 31.07.2017 द्वारा श्री मनोज कुमार गर्ग तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुजफफरनगर से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया, जो श्री गर्ग के पत्र सं0-35सी/रा0म0लो0 स0ग्रा0//मु0नगर/08मु0स0/ स्पष्टीकरण/2018-19 दिनांक 29.08.2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- शासन स्तर से निर्गत स्पष्टीकरण, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री मनोज कुमार गर्ग तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुजफफरनगर के विरूद्ध अधिरोपित आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत शासन के पत्र दिनांक 31-07-2017 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण की कार्यवाही बिना किसी दण्ड के एतद द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-152/2018/2822(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री मनोज कुमार गर्ग तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- मुजफफरनगर सम्प्रति प्रखण्ड- रामपुर द्वारा -निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।